ज़िला परिषद, पंचायत समिति (MPSV मशीन) · पंच, सरपंच (मतपेटी) · मतदान दल और प्रशिक्षकों के लिए

दृष्टिबाधित या दिव्यांग मतदाता: मतदान अधिकारी ख़ुद मदद करते हैं

लोकसभा, विधानसभा या नगरपालिका के चुनाव में ऐसा मतदाता अपना वोट अपने साथी से लगवा सकता है, पर पंचायत चुनाव में साथी की मदद से वोट देने का प्रावधान नहीं है। यहाँ मतदान अधिकारी (PO) ख़ुद उसकी मर्ज़ी से वोट लगाते हैं: मशीन वाले दिन नियम 41-क से, मतपेटी वाले दिन नियम 41 से। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 8] [मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 5]

आधार: राज्य निर्वाचन आयोग की ईवीएम मार्गदर्शिका और मतपेटी मार्गदर्शिका 2026, राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994, आयोग के आदेश 6211 और 9605, और आयोग का प्रेस नोट 9836 · पीले रंग में वह छपी लाइन जिस पर बात टिकी है · हर [] छूने पर स्रोत खुलता है

1 दोनों दिन, आमने-सामने

	मशीन वाला दिन ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्य, MPSV मशीन	मतपेटी वाला दिन पंच और सरपंच, मतपत्र और मतपेटी
मदद कौन करे	**मतदान अधिकारी ख़ुद; कोई साथी नहीं** [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 8]	**मतदान अधिकारी ख़ुद; कोई साथी नहीं** [मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 5]
नियम	नियम 41-क [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 164] [नियम, अंग्रेज़ी पाठ, पृ. 113]	नियम 41 [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 155] [नियम, अंग्रेज़ी पाठ, पृ. 105] [मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 19]
कब	मतदाता मतदान यूनिट पर चिह्न न पहचान पाए, या बिना मदद के सही बटन न दबा पाए [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 164]	अंधेपन या शरीर के किसी अंग की कमज़ोरी से मतदाता तय तरीक़े से ख़ुद वोट न लगा पाए [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 155]; मतदाता कहे, तब [मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 19]
मतदान अधिकारी क्या करें	उसकी ओर से, उसकी मर्ज़ी से बटन दबाइए [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 164] [नियम, अंग्रेज़ी पाठ, पृ. 113]	मतदान कक्ष में जाकर उसकी मर्ज़ी से वोट लगाइए, मतपत्र ऐसे मोड़िए कि वोट छिपा रहे, और मतपेटी में डालिए [मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 19] [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 155]
क्या लिखें	कोई प्ररूप तय नहीं; मतदाता सूची में नाम के सामने “AA”, और मतदाता रजिस्टर (प्ररूप-12) के कॉलम-4 में मदद का कारण [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 20] [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 21]	कोई फ़ॉर्म नहीं; मतदाता सूची में नाम के सामने “AA” [मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 19]
डायरी	“AA” वाले निशान गिनकर संख्या मतदान अधिकारी की डायरी और सांख्यिकी सूचना में [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 25]	पंच-सरपंच की डायरी (परिशिष्ट-23-B), पंक्ति (17): ऐसे मतदाताओं की संख्या [मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 21] [मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 124]
लाइन	लाइन में बाक़ी मतदाताओं से पहले, और बूथ में आने में ज़रूरी मदद [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 21]	पहले मौक़ा, बूथ में आने में मदद, और प्राथमिकता वाला प्लेकार्ड [मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 21]

2 पंचायत चुनाव में कोई साथी नहीं

दोनों मार्गदर्शिकाओं में यह बात अलग से छपी है। मतदाता किसी रिश्तेदार या साथी को अंदर ले जाकर उससे वोट लगवाना चाहे, तो पंचायत चुनाव में यह नहीं होगा; मतदान अधिकारी ख़ुद उसकी मदद करेंगे। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 8] [मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 5]

ईवीएम मार्गदर्शिका, बिन्दु 18 (मशीन वाला दिन)

“...किन्तु पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में नियम 41–क (परिशिष्ट–4) पीठासीन अधिकारी ही ऐसे दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग मतदाताओं को मत अंकित करने में सहायता देंगे। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में साथी की सहायता से मत देने का प्रावधान नहीं है।”

[ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 8]

मतपेटी मार्गदर्शिका, बिन्दु 19 (पंच-सरपंच का दिन)

“...लेकिन पंचायत चुनावों में मतदान अधिकारी ही ऐसे दृष्टिबाधित व दिव्यांग मतदाताओं को नियम 41 के अन्तर्गत (परिशिष्ट–4 के अध्याय–4) मत अंकित करने में सहायता करेगें, क्योंकि पंचायत चुनावों में साथी की सहायता से मत देने का प्रावधान नहीं है।”

[मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 5]

18. दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग मतदाताओं को मत अंकित करने में सहायता:– लोकसभा/विधानसभा/नगरपालिका चुनावों में पीठासीन अधिकारी दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग मतदाताओं को मतपत्रों पर मत अंकित करने में कोई सहायता नहीं कर सकता। ऐसे मतदाताओं को अपना मत अपने साथी द्वारा अंकित करवाने का अधिकार है किन्तु पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में नियम 41–क (परिशिष्ट–4) पीठासीन अधिकारी ही ऐसे दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग मतदाताओं को मत अंकित करने में सहायता देंगे। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में साथी की सहायता से मत देने का प्रावधान नहीं है।
19. चैलेन्ज फी (**Challenge Fee**):– पंचायत चुनाव में मतदान बूथ पर किसी उम्मीदवार द्वारा मतदाता के पहचान को चैलेन्ज करने के पहले चैलेन्ज फी जमा कराने का कोई प्रावधान नहीं हैं।
20. निविदत्त मत (**Tender Vote**) :– पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भी निविदत्त मतपत्र द्वारा मत देने वाले व्यक्ति के मामले पीठासीन अधिकारी द्वारा निपटाये जायेंगे।

ईवीएम मार्गदर्शिका, बिन्दु 18। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 8]

स्थगित कर देगा।
19. दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग मतदाताओं को मत अंकित करने में सहायता:– विधानसभा चुनावों में पीठासीन अधिकारी दृष्टिबाधित व दिव्यांग मतदाताओं को मतपत्र पर मत अंकित करने में कोई सहायता नहीं कर सकता परन्तु ऐसे मतदाताओं को अपना मत अपने साथी द्वारा अंकित करवाने का अधिकार है लेकिन पंचायत चुनावों में मतदान अधिकारी ही ऐसे दृष्टिबाधित व दिव्यांग मतदाताओं को नियम 41 के अन्तर्गत (परिशिष्ट–4 के अध्याय–4) मत अंकित करने में सहायता करेगें, क्योंकि पंचायत चुनावों में साथी की सहायता से मत देने का प्रावधान नहीं है।
20. चिन्हित मतदाता सूची:– अन्य चुनावों में मतपत्र का क्रमांक निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में अंकित नहीं किया जाता, लेकिन पंचायत चुनावों में नियम 39 (परिशिष्ट–4 के अध्याय–4) के अन्तर्गत सहायक मतदान अधिकारियों को चिन्हित मतदाता सूची में मत देने वाले प्रत्येक मतदाता के नाम के सामने उसे दिये गये मतपत्र की क्रम संख्या लिखनी होगी जो उसे दिया

मतपेटी मार्गदर्शिका, बिन्दु 19। [मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 5]

3 मशीन वाला दिन: नियम 41-क

ज़िला परिषद और पंचायत समिति वाले दिन ईवीएम वाली मार्गदर्शिका नियम 41-क बताती है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 8]

नियम 41-क (1), हिन्दी पाठ

“यदि कोई निर्वाचक दृष्टिबाधित या दिव्यांगता के कारण मतदान मशीन की मतदान यूनिट पर प्रतीक चिन्हों को पहचानने में असमर्थ है या सहायता के बिना उस पर समुचित बटन दबाकर अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ है तो मतदान अधिकारी उसकी ओर से और उसकी इच्छा के अनुसरण में मत अभिलिखित करने के लिए ऐसा करेगा।”

[ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 164]

नियम 41-क (2), हिन्दी पाठ

“मतदान अधिकारी, इस नियम के अधीन समस्त मामलों में, मतदाता रजिस्टर में ऐसे निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टि के सामने एक संक्षिप्त टिप्पण और ऐसी कार्रवाई के कारण लिखेगा।”

[ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 164]

आधप्रमाणत कर ।

41क. दृष्टिबाधित या दिव्यांग निर्वाचकों को सहायता.–
(1) यदि कोई निर्वाचक दृष्टिबाधित या दिव्यांगता के कारण मतदान मशीन की मतदान यूनिट पर प्रतीक चिन्हों को पहचानने में असमर्थ है या सहायता के बिना उस पर समुचित बटन दबाकर अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ है तो मतदान अधिकारी उसकी ओर से और उसकी इच्छा के अनुसरण में मत अभिलिखित करने के लिए ऐसा करेगा ।
(2) मतदान अधिकारी, इस नियम के अधीन समस्त मामलों में, मतदाता रजिस्टर में ऐसे निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टि के सामने एक संक्षिप्त टिप्पण और ऐसी कार्रवाई के कारण लिखेगा ।

नियम 41क, हिन्दी पाठ (ईवीएम मार्गदर्शिका का परिशिष्ट)। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 164]

नियम की अंग्रेज़ी किताब में 41A (2) का टिप्पण “copy of voters list” में लिखने की बात है: “(2) The Polling Officer shall, for all cases under this rule, shall make a brief note against the entry relating to such elector in the copy of voters list and the reason of such action.” [नियम, अंग्रेज़ी पाठ, पृ. 113] मार्गदर्शिका दोनों जगह लिखवाती है: मतदाता सूची में “AA”, और मतदाता रजिस्टर में कारण (नीचे देखिए)। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 20] [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 21]

41A. Assistance to blind or infirm electors.- (1) If an elector owing to blindness or other physical infirmity, is unable to recognize the symbols on the balloting unit of the voting machine or unable to record his vote by pressing the appropriate button thereon without assistance, the Polling Officer shall do so for recording the vote on his behalf and in accordance with his wishes.

(2) The Polling Officer shall, for all cases under this rule, shall make a brief note against the entry relating to such elector in the copy of voters list and the reason of such action.

नियम 41A, अंग्रेज़ी पाठ (नियमों की किताब)। [नियम, अंग्रेज़ी पाठ, पृ. 113]

मतदान अधिकारी क्या करें

1. देखिए कि मतदाता मशीन की मतदान यूनिट पर चिह्न पहचान पाता है या नहीं, और बिना मदद के सही बटन दबा पाता है या नहीं। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 164]
2. न पहचान पाए या न दबा पाए, तो आप उसकी ओर से, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक़ बटन दबाइए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 164] [नियम, अंग्रेज़ी पाठ, पृ. 113]
3. मार्गदर्शिका यह भी कहती है: कोई मतदाता दृष्टिबाधित होने, दिव्यांगता या जानकारी न होने की वजह से तय तरीक़े से वोट देने में मदद चाहे, तो आप उसे यह मदद दीजिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 20]
4. ऐसे मतदाताओं का ब्यौरा लिखने का कोई प्ररूप तय नहीं है। मतदाता सूची में उसके नाम के सामने दो अक्षर “AA” लिखिए, और मतदाता रजिस्टर (प्ररूप-12) के कॉलम-4 (अभियुक्तियाँ) में मदद का कारण (दिव्यांग या दृष्टिबाधित) लिखिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 20] [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 21]

4. यदि कोई मतदाता दृष्टिबाधित/दिव्यांगता अथवा अनभिज्ञता के फलस्वरूप निर्धारित रीति से मत देने में सहयोग चाहे तो पीठासीन अधिकारी उसे ऐसा सहयोग प्रदान करेगा। ऐसे

मतदाताओं के विवरण लिखने हेतु कोई प्ररूप निर्धारित नहीं है। लेकिन नियमानुसार आप मतदाता सूची में उस मतदाता के नाम के सामने दो अक्षर "AA" लिख देवें एवं साथ ही मतदाता रजिस्टर (प्रारूप–12) के कॉलम–4 अभियुक्तियां में मतदाता की सहायता का कारण (दिव्यांग/दृष्टिबाधित) अंकित किया जायें।

5. चुनौती (चेलेंज्ड) मत व निविदत्त (टेण्डर) मत के मामले आपको तय करने होंगे।
6. पंचायत चुनावों में न तो कोई चुनौती फी (चैलेंज फी) होगी और ना ही किसी निर्धारित प्रारूप में आक्षेपित मत (Challenge Vote) की सूची तैयार की जावेगी।
7. महिलाओं एवं पुरूष मतदाताओं की पृथक–पृथक पंक्तियां होनी चाहिये। एक बार में तीन या चार मतदाताओं को ही मतदान बूथ में आने देवें। दिव्यांग/दृष्टिबाधित, बुर्जुग एवं महिला जिनके गोद में बच्चा हो, उन्हें पंक्ति में खड़े अन्य मतदाताओं से प्राथमिकता प्रदान करें। आपको दिव्यांग/दृष्टिबाधित मतदाताओं को मतदान बूथ मे प्रवेश करने के लिए आवश्यक सहयोग भी करना चाहिए।

ईवीएम मार्गदर्शिका, “मतदान प्रक्रिया की देखरेख”, बिन्दु 4 (पन्ने के आख़िर से अगले पन्ने तक) और बिन्दु 7। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 20] [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 21]

सहायक मतदान अधिकारी क्या लिखें

मार्गदर्शिका यही बात पहले और दूसरे सहायक मतदान अधिकारी के कामों में भी लिखती है (मार्गदर्शिका में इनके नाम “प्रथम मतदान अधिकारी” और “द्वितीय मतदान अधिकारी” हैं): जिस दृष्टिबाधित या दिव्यांग मतदाता को बूथ के प्रभारी की मदद चाहिए, उसकी क्रम संख्या पर “AA” लिखिए, और रजिस्टर (प्ररूप-12) के कॉलम-4 में मदद का कारण। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 25] [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 28] मतदान अधिकारी के अपने कामों वाले अध्याय में भी यही बात “क्रम संख्या पर” के शब्दों में छपी है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 11]

मतदान ख़त्म होने पर

ईवीएम मार्गदर्शिका, प्रथम मतदान अधिकारी, बिन्दु 4

"मतदान समाप्ति के पश्चात् उक्त प्रकार के अंकनों के आधार पर गणना कर सूचना एकत्र की जावेगी। जिसे पीठासीन अधिकारी की डायरी तथा सांख्यिकी सूचना में अंकित किया जायेगा।"

[ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 25]

यानी "AA" वाले निशान गिनकर उनकी संख्या मतदान अधिकारी की डायरी में और सांख्यिकी की सूचना में लिखिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 25]

अधिकारी की डायरी में अभिलिखित किया जायेगा। दृष्टिबाधित/दिव्यांग मतदाता जिनको पीठासीन अधिकारी की सहायता की आवश्यकता हैं, ऐसे मतदाताओं के मामले में मतदाता की क्रम संख्या पर "AA" भी अंकित कर दें एवं साथ ही मतदाता रजिस्टर (प्रारूप–12) के कॉलम–4 अभियुक्तियां में मतदाता सहायता का कारण (दिव्यांग/दृष्टिबाधित) अंकित किया जायें। मतदान समाप्ति के पश्चात् उक्त प्रकार के अंकनों के आधार पर गणना कर सूचना एकत्र की जावेगी। जिसे पीठासीन अधिकारी की डायरी तथा सांख्यिकी सूचना में अंकित किया जायेगा।

ईवीएम मार्गदर्शिका, "प्रथम मतदान अधिकारी" का बिन्दु 4। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 25]

4 मतपेटी वाला दिन: नियम 41

पंच और सरपंच वाले दिन मतपेटी वाली मार्गदर्शिका नियम 41 बताती है। [मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 5] नियम की अंग्रेज़ी किताब में भी यही बात है: मतपत्र मोड़कर वोट छिपाना, मतपेटी में डालना, और नियम 39 वाली मतदाता सूची की प्रति में टिप्पण। [नियम, अंग्रेज़ी पाठ, पृ. 105]

नियम 41 (1), हिन्दी पाठ

"41.दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग निर्वाचकों को सहायता:– (1) यदि कोई निर्वाचक अन्धता या शारीरिक अंग शैथिल्य के कारण नियम 40 के अधिकथित रीति से अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ हो तो मतदान अधिकारी निर्वाचक के निर्देशानुसार ऐसा करेगा और उसे ऐसे मोड़ेगा जिससे मत छिपा रह जाये और उसे मतपेटी के अंदर डालेगा और नियम 39 में निर्दिष्ट मतदाता सूची की प्रति में ऐसे निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टि के सामने ऐसी कार्यवाही के लिए संक्षिप्त टिप्पण करेगा।"

[ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 155]

अधिकारी या मतदान अधिकारी के सामने रखी जायेगी।

(2) प्रत्येक निर्वाचक अपना मत या अपने मत किसी असम्यक् बिलम्ब के बिना अभिलिखित करेगा और डालेगा और मतदान कोष्ठ, मतदान बूथ और मतदान केन्द्र से यथा सम्भव शीघ्र सुविधानुसार चला जायेगा।

41.दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग निर्वाचकों को सहायता:– (1) यदि कोई निर्वाचक अन्धता या शारीरिक अंग शैथिल्य के कारण नियम 40 के अधिकथित रीति से अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ हो तो मतदान अधिकारी निर्वाचक के निर्देशानुसार ऐसा करेगा और उसे ऐसे मोड़ेगा जिससे मत छिपा रह जाये और उसे मतपेटी के अंदर डालेगा और नियम 39 में निर्दिष्ट मतदाता सूची की प्रति में ऐसे निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टि के सामने ऐसी कार्यवाही के लिए संक्षिप्त टिप्पण करेगा।

42. खराब हुए मतपत्र :– ऐसा निर्वाचक, जो अपना मतपत्र अनवधानता से ऐसी रीति से काम में लाता है कि वह उस रूप में सुविधानुसार उपयोग में नहीं लाया जा सकता हो तो मतदान

नियम 41, हिन्दी पाठ (ईवीएम मार्गदर्शिका का परिशिष्ट)। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 155]

मतदान अधिकारी क्या करें

1. मतपेटी वाली मार्गदर्शिका में मतदान अधिकारी के कामों में यह भी है: दृष्टिबाधित और दिव्यांग मतदाता को उसकी मर्ज़ी से वोट लगाने में मदद। [मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 9]
2. मतदाता कहे, तो आप मतदान कक्ष में जाइए, उसकी मर्ज़ी से वोट लगाइए, और मतपत्र मतपेटी में डाल दीजिए। [मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 19]
3. मतपत्र ऐसे मोड़िए कि वोट छिपा रहे। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 155]
4. इसके लिए कोई फ़ॉर्म नहीं है; मतदाता सूची में उसके नाम के सामने दो अक्षर "AA" लिख दीजिए। [मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 19]

14. अवचार के लिए मतदान केन्द्र से हटाया जाना (नियम 45):– यदि कोई व्यक्ति किसी मतदान केन्द्र पर अवचार करता है या रिटर्निंग अधिकारी, या मतदान अधिकारी या किसी सहायक मतदान अधिकारी के विधिपूर्ण आदेशों का पालन नहीं करता है तो रिटर्निंग अधिकारी या मतदान अधिकारी ऐसे व्यक्ति को मतदान केन्द्र से बाहर कर देगा और ऐसा हटाया गया व्यक्ति मतदान केन्द्र के अन्दर पुनः नहीं आ पायेगा। लेकिन, ऐसे व्यक्ति को मत डालने के अधिकार, से निवारित करने के प्रयोजनार्थ ऐसा नहीं किया जाये।
15. दिव्यांग व दृष्टिबाधित मतदाताओं की सहायता:– मतदान अधिकारी नियम 41 (परिशिष्ट–4) के प्रावधानों के अनुसार दृष्टिबाधित, व दिव्यांग मतदाताओं को उनके निवेदन पर मत कक्ष में जाकर उनकी इच्छानुसार मत अंकित कर मतपेटी में डाल देंगे। ऐसे मतदाताओं के विवरण लिखने हेतु कोई फार्म निर्धारित नहीं है, लेकिन नियमानुसार आप मतदाता सूची में उस मतदाता के नाम के सामने दो अक्षर "AA" लिख दें।
16. निविदत्त (Tender) मतपत्र व निविदत्त मतपत्रों की सूची।

मतपेटी मार्गदर्शिका, बिन्दु 15। [मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 19]

डायरी

मार्गदर्शिका में मतदान अधिकारी की डायरी में लिखी जाने वाली बातों की सूची में "अंधे या शिथिलांग मतदाता" भी हैं, और पंच-सरपंच के चुनाव के लिए परिशिष्ट-23-B की अलग डायरी होगी। [मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 21] उस डायरी की पंक्ति (17) है: "अंधे या शिथिलांग मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान करने में सहायता की गई"। [मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 124]

परिशिष्ट–23-B

No.

पंच व सरपंच चुनाव

मतदान अधिकारी (पीठासीन अधिकारी) की डायरी

(15) अभ्याक्षांपेत (चैलेन्ज्ड) मत–अनुमत सख्या अस्वीकृत सख्या
जब्त की गई धनराशि रू.
(16) निविदत्त (टेन्डर्ड) मतों की कुल संख्या
(17) अंधे या शिथिलांग मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान करने में सहायता की गई
(18) निर्वाचकों की संख्या
(क) जिनसे उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की गई
(ख) जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से इनकार किया
(19) क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था ? यदि हाँ, तो ऐसे स्थगन के कारण

परिशिष्ट-23-B, पंच-सरपंच की डायरी: शीर्षक और पंक्ति (17)। [मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 124]

5 लाइन और बूथ

मशीन वाला दिन

महिला और पुरुष मतदाताओं की अलग-अलग लाइनें हों, और एक बार में तीन या चार मतदाता ही बूथ में आएँ। दिव्यांग, दृष्टिबाधित, बुज़ुर्ग, और गोद में बच्चे वाली महिला को लाइन में खड़े बाक़ी मतदाताओं से पहले मौक़ा दीजिए, और दिव्यांग और दृष्टिबाधित मतदाता को बूथ में आने में ज़रूरी मदद भी कीजिए।
[ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 21]

मतपेटी वाला दिन

एक बार में तीन या चार मतदाता; दिव्यांग, बुज़ुर्ग और गोद में बच्चे वाली महिला को पहले मौक़ा, और दिव्यांग मतदाता को बूथ में आने में ज़रूरी मदद। साथ में, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को मतदान में प्राथमिकता देने वाला प्लेकार्ड ऐसी जगह लगाइए जहाँ आसानी से दिखे। [मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 21]

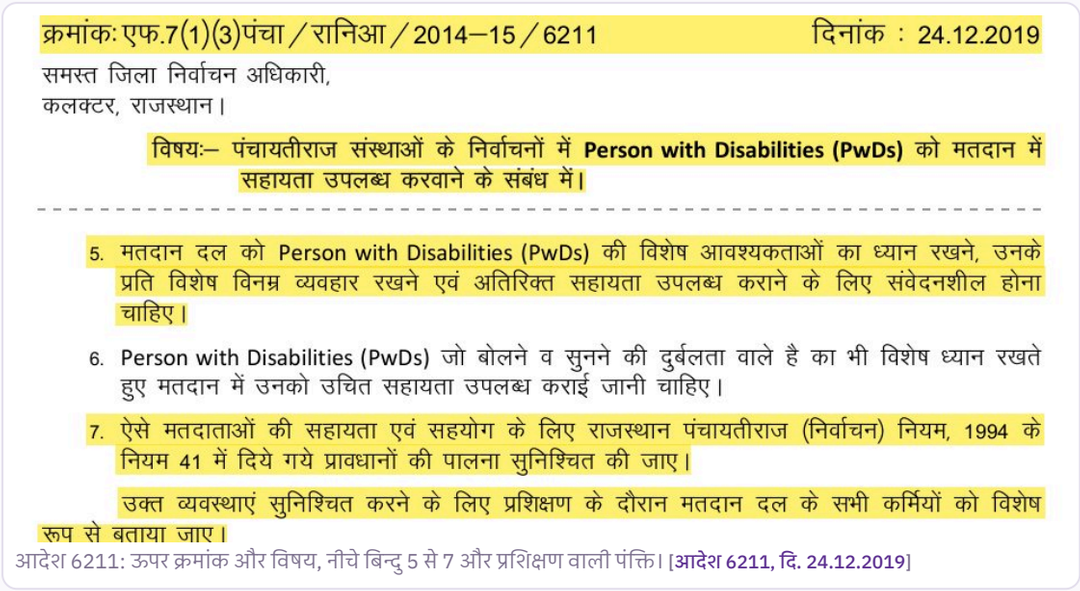
6 आयोग के आदेश

आदेश 6211, दिनांक 24.12.2019 (विषय: पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों में Person with Disabilities (PwDs) को मतदान में सहायता) [आदेश 6211, दि. 24.12.2019]

- ज़िला निर्वाचन अधिकारी ऐसे मतदाताओं को चिह्नित करके उनकी मैपिंग करवाएँ, और उनकी सूची "प्रत्येक मतदान बूथ पर पदस्थापित सहायक" को दें।
- हर पंचायत समिति में एक नोडल अधिकारी, और उसका टेलीफ़ोन या मोबाइल नंबर प्रचारित हो।
- मतदाता को घर से बूथ तक लाने और वोट डालने के बाद घर छोड़ने का इंतज़ाम; ज़रूरत हो तो स्वयंसेवी संस्थाओं और NSS की मदद से।
- दिव्यांग मतदाता को मतदान में प्राथमिकता।
- मतदाता अपनी व्हीलचेयर मतदान केन्द्र तक ले जा सके; उसके पास व्हीलचेयर न हो, तो स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से बूथ पर व्हीलचेयर; केन्द्र पर स्थायी रैम्प न हो, तो अस्थायी रैम्प; और बूथ पर मदद के लिए NSS, NCC कैडेट और स्काउट-गाइड।

आदेश 6211 (पिछले पन्ने से आगे)

- मतदान दल के लिए: “मतदान दल को Person with Disabilities (PwDs) की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखने, उनके प्रति विशेष विनम्र व्यवहार रखने एवं अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने के लिए संवेदनशील होना चाहिए।”
- बोलने या सुनने में कमज़ोर मतदाता का भी ख़ास ध्यान, और उसे मतदान में सही मदद।
- “ऐसे मतदाताओं की सहायता एवं सहयोग के लिए राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 41 में दिये गये प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जाए।” और: “उक्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण के दौरान मतदान दल के सभी कर्मियों को विशेष रूप से बताया जाए।” [आदेश 6211, दि. 24.12.2019]



क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा / रानिआ / 2014–15 / 6211 दिनांक : 24.12.2019

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
कलक्टर, राजस्थान।

विषयः– पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों में **Person with Disabilities (PwDs)** को मतदान में सहायता उपलब्ध करवाने के संबंध में।

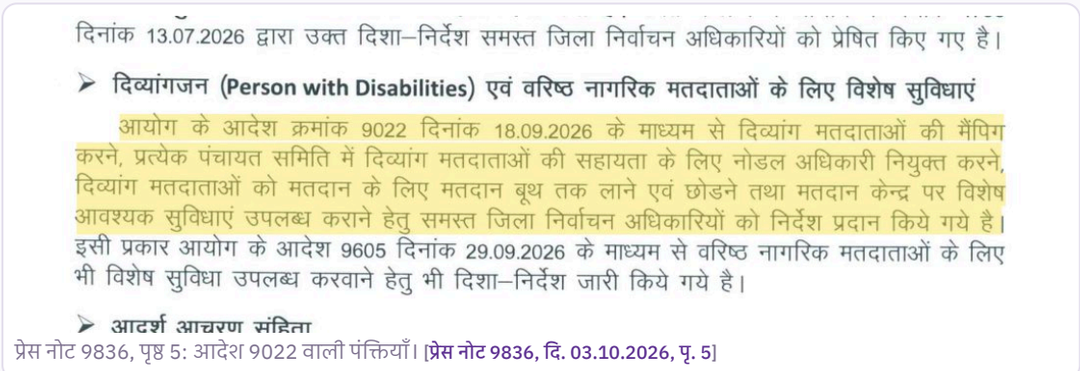
5. मतदान दल को Person with Disabilities (PwDs) की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखने, उनके प्रति विशेष विनम्र व्यवहार रखने एवं अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने के लिए संवेदनशील होना चाहिए।
6. Person with Disabilities (PwDs) जो बोलने व सुनने की दुर्बलता वाले है का भी विशेष ध्यान रखते हुए मतदान में उनको उचित सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
7. ऐसे मतदाताओं की सहायता एवं सहयोग के लिए राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 41 में दिये गये प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जाए।

उक्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण के दौरान मतदान दल के सभी कर्मियों को विशेष रूप से बताया जाए।

आदेश 6211: ऊपर क्रमांक और विषय, नीचे बिन्दु 5 से 7 और प्रशिक्षण वाली पंक्ति। [आदेश 6211, दि. 24.12.2019]

आदेश 9022, दिनांक 18.09.2026

आयोग के प्रेस नोट में लिखा है कि इस आदेश से सभी ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए: दिव्यांग मतदाताओं की मैपिंग, हर पंचायत समिति में उनकी मदद के लिए नोडल अधिकारी, उन्हें मतदान के लिए बूथ तक लाना और वापस छोड़ना, और मतदान केन्द्र पर ख़ास ज़रूरी सुविधाएँ। आदेश 9022 की प्रति साइट पर नहीं है; यहाँ वही बातें हैं जो प्रेस नोट में छपी हैं। [प्रेस नोट 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 5]



दिनांक 13.07.2026 द्वारा उक्त दिशा–निर्देश समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रेषित किए गए है।

➢ **दिव्यांगजन (Person with Disabilities) एवं वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएं**

आयोग के आदेश क्रमांक 9022 दिनांक 18.09.2026 के माध्यम से दिव्यांग मतदाताओं की मैपिंग करने, प्रत्येक पंचायत समिति में दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने, दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के लिए मतदान बूथ तक लाने एवं छोडने तथा मतदान केन्द्र पर विशेष आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये गये है। इसी प्रकार आयोग के आदेश 9605 दिनांक 29.09.2026 के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए भी विशेष सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु भी दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

➢ आदर्श आचरण संहिता

प्रेस नोट 9836, पृष्ठ 5: आदेश 9022 वाली पंक्तियाँ। [प्रेस नोट 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 5]

आदेश 9605, दिनांक 29.09.2026 (वरिष्ठ नागरिक मतदाता) [आदेश 9605, दि. 29.09.2026]

- मतदान केन्द्र पर वरिष्ठ नागरिक मतदाता को प्राथमिकता; सही रैम्प और ज़रूरी संकेतक; छायादार प्रतीक्षा की जगह और अलग कतार; ज़रूरत के हिसाब से स्वयंसेवकों और NSS की मदद; ज़रूरत के हिसाब से व्हीलचेयर।
- मतदान दल के लिए: “मतदान दल से वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के प्रति विनम्र एवं अधिक संवेदनशील व्यवहार अपेक्षित है।” [आदेश 9605, दि. 29.09.2026]

साइट पर: यही पेज · मतदान दल: MPSV वाला दिन · मतदान दल: मतपेटी वाला दिन · मतपेटी वाले दिन के फ़ॉर्म · स्रोतों में फ़र्क: AA कहाँ लिखा जाए